न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 943/2022

अनवान : –

1. तोलाराम पुत्र मालचन्द जाति ब्राहमण साकिन नोहर तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. संतोष देवी पुत्री मालचन्द पत्नी अम्बिकेश जाति ब्राहमण साकिन लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 8/11/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि कस्बा नोहर तहसील नोहर में मालचन्द व सोहनलाल पुत्रगण गणपतराम जाति ब्राहमण निवास करते थे तथा मालचन्द पुत्र गणपतराम अपने भाई सोहनलाल से पहले फौत हो गया तथा मालचन्द के वारिस वादी एवं प्रतिवादी स0 1 हुवे तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व सोहनलाल पुत्र गणपतराम का परिवार संयुक्त हिन्दु परिवार जो मिताक्षरा हिन्दु विधि से शासित है तथा उक्त संयुक्त हिन्दु परिवार बुजुर्गो के वक्त से शामिल शरीक चला आ रहा है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के चाचा सोहनलाल पुत्र गणपतराम के कोई लड़का व लड़की के रूप में कोई संतान नही था तथा उसकी धर्मपत्नी बसन्ती देवी व सोहनलाल वादी व प्रतिवादी स0 1 के साथ रहते थे तथा सोहनलाल व उसकी धर्मपत्नी बसन्ती देवी की सेवा चाकरी वादी करता था तथा सोहनलाल पुत्र गणपतराम के कृषि भूमि उसके देहान्त के बाद उसकी धर्मपत्नी अकेली वारिसा होने के कारण उसके नाम दर्ज हो गयी तथा वादी व प्रतिवादीया न0 1 अपने चाचा सोहनलाल के भाई मालचन्द की सन्तान होने के कारण द्वितीय अनुसुची के चतुर्थ खण्ड में उसके सगे भाई लड़के व लड़की होने की वजह से खातेदार व हकदार हुए।

अराजी जरई वाके रौही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 363/375 खसरा न0 892/2 की 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा बाद देहान्त सोहनलाल उसकी धर्मपत्नी बसन्ती देवी के नाम दर्ज है तथा इसी प्रकार [illegible] के रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 73/72 की [illegible] हैक्ट [illegible] मृतक बसन्ती देवी पत्नी सोहनलाल खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा इसी प्रकार भूमि वा[illegible] मौजा चक 1 एनएचआर (बी) खाता संख्या 97/93 की कुल तादादी 0.506 हैक्ट मृतक बसंती पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सोहनलाल के नाम खातेदार काश्तकार है। उक्त वाद भूमि में मृतक बसन्ती देवी की जगह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिस्सा बराबर के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। मृतक बसन्ती देवी के अपने पति सोहनलाल से कोई सन्तान नही थी तथा वह निर्वसीयत दिनांक 12.05.2018 को फौत हो चुकी है इसलिए उक्त भूमि के उसके नजदीकी वारिस उसके पति सोहनलाल के भाई मालचन्द के लड़का व लड़के यानि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की दफा 15 के अनुसार मृतक स्त्री जिसको अपने ससुर पक्ष से सम्पति मिली है इसलिए उसके पति के भाई के वारिस वादी व प्रतिवादी न0 1 उक्त वादग्रस्त भूमि के मृतक बसन्ती देवी की जगह नियमानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी स0 1 को कोई एतराज नही है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत 2058 रोही मौजा भूकरका प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत 2065–68 रोही मौजा 14 बारानी प्रदर्श–2, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा भूकरका प्रदर्श–3, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा 14 बारानी प्रदर्श–4, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत 2021–74 रोही मौजा 1 एनएचआर बी प्रदर्श–5, फोटो प्रति परिवार सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–6, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बसन्ती देवी पत्नी चौथाराम प्रदर्श–7, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सोहनलाल पुत्र गणपतराम प्रदर्श–8, फोटो प्रति मतदाता सूची वर्ष 1980 प्रदर्श–9, फोटो प्रति मतदाता सूची वर्ष 1988 प्रदर्श–10, फोटो प्रति मतदाता सूची वर्ष 1993 प्रदर्श–11, वार्ड पार्षद द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–12 आदि प्रदर्शित करवायें। नगर पालिका नोहर के वार्ड न0 13 के वार्ड पार्षद द्वारा तस्दीक परिवार सदस्य प्रमाण पत्र एवं नगर पालिका नोहर के वार्ड न0 20 के वार्ड पार्षद द्वारा तस्दीक परिवार के सदस्यों की वंशावली आदि पेश किये गये। संतोष कुमार तिवाड़ी पुत्र मंगलचन्द तिवाड़ी जाति ब्राहमण निवासी नोहर द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ [illegible] पेश किया [illegible] प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही [illegible] बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता की पत्नी

बसन्ती के नाम दर्ज है। बसन्ती पत्नी सोहनलाल का लावल्द देहांत हो चुका है। बसन्ती के नाम दर्ज भूमि को उसके जायज वारिस वादी एवं प्रतिवादी स0 1 अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार खाता संख्या 363/375 खसरा न0 892/2 की 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा, रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 73/72 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी खाता संख्या 97/93 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि बसन्ती देवी के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–7 से स्पष्ट साबित है कि बसन्ती का देहान्त हो चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति तथा गवाह श्री संतोष कुमार के बयान के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 363/375 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा, रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 73/72 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 1 एनएचआर बी खाता संख्या 97/93 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि बसन्ती देवी के नाम दर्ज है, में बसन्ती देवी का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीया संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 8/11/23........ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:54 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 943/2022

अनवान : –

1. तोलाराम पुत्र मालचन्द जाति ब्राहमण साकिन नोहर तहसील नोहर।

– **वादीग**

बनाम्

1. संतोष देवी पुत्री मालचन्द पत्नी अम्बिकेश जाति ब्राहमण साकिन लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 943 सन 2022 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 363/375 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा, रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 73/72 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 1 एनएचआर बी खाता संख्या 97/93 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि बसन्ती देवी के नाम दर्ज है, में बसन्ती देवी का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीया संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 8/11/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:54 IST
Reason: SelfAttested